

## न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/08/2019

अपीलार्थी:-

श्री योगेश आत्रेय निवासी-AD94C  
पितमपुरा (रोहिणी कोर्ट के सामने) नई  
दिल्ली-110034

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति  
जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 19-03-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 07.01.2019 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचनाएं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 19.03.19 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 431 दिनांक 13.01.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 07.01.2019 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्टर, अलवर को यू.ओ. नोट संख्या 05 दिनांक 15.01.19 के माध्यम से संबंधी आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी-प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्टर अलवर के पत्रांक 139 दिनांक 17.01.19 से प्राप्त सूचना अपीलार्थी को पत्रांक 108 दिनांक 18.01.19 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। वांछित सूचना में प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलेक्टर अलवर द्वारा विस्तृत लोकहित निहित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(अ) के प्रकाश में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, अंकित किया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रभारी अधिकारी राजस्व के पास जो भी सूचना संधारित है वह उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि संपरिवर्तन नियम 2007 में पंजिका संधारित करना अनिवार्य है तथा उस पंजिका की प्रति जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पष्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांत स्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला कलेक्टर, अलवर  
अलवर (राज०)